न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

1. अनिल कुमार चौबे पिता स्व0 राजाराम चौबे सा0 जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0..निगरानीकर्ता

बनाम्

1. देवकुमारी बेबा पत्नी शुद्धूलाल मुर्तिया
2. इन्द्र कुमार पिता शुद्धूलाल मुर्तिया

दोनो निवासी जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली ....अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार देवसर के प्रकरण कमांक 139/अ–12/96–97 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2000

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:–

1. यहकि तहसीलदार देवसर द्वारा प्रकरण कमांक 139/अ–12/ 96–97 मे दिनांक 14.7.2000 का पारित आदेश बिना प्रकरण संधारण किए ही किया गया एक बोगस आदेश है जो विधि प्रकिया व सहज न्याय सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्तगी योग्य है।
2. यहकि ग्राम जियावन स्थित भूमि खसरा कमांक 50 बडे रकवे का प्लाट है। निगरानीकर्ता व अनावेदकगण के साथ ही साथ कई कोल आदिवासी व अन्य लोगों का पट्टा कब्जा दखल है। सडक से पूर्वी भाग पर कई जरीब दूर प्लाट नम्बर 39,40,43,44,49 की पैमूद नक्षा सीमा से बीच में कई जरीब दूर अनावेदकगणों के स्वामित्व का रकवा है। उसका रकवा 50 जु0 के रुप में आयताकार अरसा पूर्व से बना हुआ है। जहॉ 50 मि0 कायम है उस नक्षे को आज तक किसी सक्षम अधिकारी से निरस्त भी नही किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदकगणों का प्लाट उनके कब्जे स्वत्व के अनुरुप सही बना था जिससे वे संतुष्ट थे।

(165)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.5059 – दो 116 जिला– सिंगरोली

अनिल कुमार चौबे विरूद्ध देव कुमारी मुर्तिया

(1)	(2)	(3)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार आनंद धर्मी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~/ ~~राजस्व निरीक्षक~~, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 139/अ12/96-97 में पारित आदेश दिनांक 14.7.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरोली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर सिंगरोली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	